प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 77/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा द्वारा 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकारों के नियमों और शर्तों' पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकारों के नियमों और शर्तों'** विषय पर एक परामर्श पत्र' जारी किया।

2. दूरसंचार विभाग ने दिनांक 26.07.2024 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है; अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) के तहत दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, बनाए रखने या विस्तार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को शुल्क या प्रभार सहित ऐसे नियम और शर्तें जो कि निर्धारित की जा सकती है के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने का प्रावधान है। दिनांक 26.07.2024 के पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(1)(क) के तहत भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, बनाए रखने या विस्तार करने के लिए प्राधिकार के लिए शुल्क या प्रभार सहित नियमों और शर्तों पर अपनी सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था।

3. तत्पश्चात् दिनांक 17.10.2024 को एक अन्य पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) के तहत उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए प्राधिकार पर विचार करने का अनुरोध किया हैं।

4. इस संबंध में हितधारकों से टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकारों के नियमों और शर्तों' पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां तथा प्रतिटिप्पणियां क्रमश: 12 नवंबर 2024 और 19 नवंबर 2024 तक आमंत्रित की गई हैं।

5. टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रानिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष क्रमांक +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा